बिहार विधान परिषद्

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या -वि.प.अ.प्र.-237/2015-2720(1)वि.प. दिनांक 09-12-2015

भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के प्रावधान के आलोक में माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह की याचिका दिनांक 2-11-2015 के आलोक में माननीय सदस्य श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित किए जाने संबंधी वाद पर न्याय निर्णय

दिनांक 7-12-2015

इस वाद में दिनांक 2-11-2015 को मेरे द्वारा आदेश (Operative portion) पारित किया गया है जिसके द्वारा श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह को संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से दिनांक 2-12-2015 के प्रभाव से निरर्हित घोषित किया जा चुका है। उक्त आदेश में ही यह स्पष्ट किया गया है कि विस्तृत सकारण आदेश दिनांक 7-12-2015 को पारित किया जाएगा।

उक्त के आलोक में सकारण आदेश निम्नवत है:

श्री संजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद् के मुख्य सचेतक, जनता दल (यू) ने दिनांक 2-11-2015 को मेरे समक्ष एक लिखित आवेदन समर्पित किया है। उक्त आवेदन में उन्होंने यह कहा है कि श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, सदस्य, बिहार विधान परिषद्, जनता दल (यू) के सदस्य हैं एवं सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल (यू) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए हैं।

श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, जनता दल (यू), के बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहते हुए हाल में सम्पन्न बिहार विधान सभा चुनाव में 104, हथुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) (हम) के प्रत्याशी बने। उन्होंने हम के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन परचा भरा। उन्हें टेलिफोन चुनाव चिह्न आवंटित किया गया। चुनाव में वह पराजित हुए हैं। श्री संजय कुमार सिंह ने यह कहा है कि अपने मूल राजनीतिक दल, जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए दूसरे राजनीतिक दल 'हम' (सेक्युलर) के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल का स्वेच्छया परित्याग कर दिया है। उनके उक्त आचरण एवं कृत्य से वह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के कंडिका 2(1) (क) के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हीरित हो चुके हैं और इस आधार पर श्री संजय कुमार सिंह ने उन्हें निरर्हीरित घोषित करने का अनुरोध किया है। श्री संजय कुमार सिंह को आवेदन समर्पित करने हेतु जनता दल (यू), विधान मंडल दल के नेता श्री नीतीश कुमार ने लिखित अधिकार प्रदान किया है।

श्री संजय कुमार सिंह से प्राप्त आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह और श्री नीतीश कुमार से कारण पृच्छा नोटिस निर्गत किया गया। श्री नीतीश कुमार ने अपने लिखित वक्तव्य में श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का पूर्ण रूपेण समर्थन किया है और यह भी कहा है कि उन्होंने श्री संजय कुमार सिंह को निरर्हन की कार्रवाई करने हेतु अधिकृत किया है।

सुनवाई हेतु वाद दिनांक 9-11-2015 को रखा गया। पुन: दिनांक 19-11-2015 को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। दिनांक 24-11-2015 को अपना उत्तर समर्पित करने हेतु समय लिया। श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराया गया। सर्वप्रथम उनके विद्वान अधिवक्ता श्री एस. बी.के.मंगलम ने दिनांक 27-11-2015 को एक लिखित आवेदन समर्पित किया जिसमें उन्होंने श्री संजय कुमार

सिंह के आवेदन की पोषणीयता पर सवाल खड़ा किया है। श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह के आवेदन में श्री संजय कुमार सिंह के आवेदन की पोषणीयता पर सवाल इस आधार पर खड़ा किया गया कि भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची एवं बिहार विधान परिषद् सदस्य/दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1994 के नियम 6 एवं 7 का अनुपालन किए बिना यह स्वीकार योग्य नहीं है, अतएव उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने यह कहा है कि श्री संजय कुमार सिंह का आवेदन शपथ पर नहीं दिया गया है जो नियम-7 में बाध्यकारी है और इस कारण आवेदन का गुण दोष के आधार पर सुनवाई किया जाना समीचीन नहीं होगा।

श्री मंगलम द्वारा समर्पित आवेदन की सुनवाई दिनांक 27-11-2015 को दोनों पक्षों की उपस्थिति में किया गया। श्री मंगलम ने अपने दलील के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय ए.आई.आर 1959 एस सी पृष्ठ- 93 का हवाला दिया है। उक्त न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अगर किसी कानून या नियम में किसी क्रिया को किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित है, ऐसी स्थिति में यह क्रिया निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगी अन्यथा क्रिया को अमान्य किया जाएगा।

श्री मंगलम की दलील के उत्तर में श्री संजय कुमार सिंह के विद्वान परामर्शी श्री पी.के.शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह के ही न्याय निर्णय का हवाला दिया है। उन्होंने मेरा ध्यान 2005 PLJR SC 102 की तरफ आकृष्ट किया। श्री शाही ने उक्त न्याय निर्णय के पाराग्राफ-18 को पढ़कर सुनाया और कहा कि श्री मंगलम के मुवक्किल इस प्रकार की आपत्ति अपने पूर्व के मामले में भी कर चुके हैं जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार योग्य नहीं पाया है। साथ ही, श्री शाही ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय रवि एस नायक बनाम यूनियम ऑफ इंडिया, 1994 (supp) 2 SCC 641 की कंडिका 18 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने श्री मंगलम एवं श्री शाही द्वारा समर्पित न्याय निर्णयों का अवलोकन किया है। श्री मंगलम द्वारा समर्पित न्याय निर्णय AIR 1959 SC 93 चुनाव याचिका से संबधित मामला था एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनाव याचिका के निष्पादन के क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किसी क्रिया को निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना आवश्यक बतलाया है। इसके विपरीत श्री शाही द्वारा समर्पित न्याय निर्णय श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा पूर्व में सदृश कृत्य के लिए बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हरित किए जाने के उपरान्त पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह का न्याय निर्णय वर्तमान मामले में पूर्णतया प्रभावी होगा। श्री मंगलम द्वारा समर्पित न्याय निर्णय की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा है कि संविधान की दसवीं अनुसूची में समर्पित आवेदन को तकनीकी आधार पर अस्वीकृत करना न्याय संगत नहीं हो सकता है और इस प्रकार का निर्णय दसवीं अनुसूची के प्रावधानों को ही परास्त कर देगा।

दिनांक 27-11-2015 को सुनवाई के उपरान्त मेरे द्वारा उभय पक्षों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया कि पोषणीयता के बिन्दु पर आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह के वाद में गुण दोष के आधार पर अपना लिखित वक्तव्य समर्पित करने हेतु अवसर प्रदान किया गया।

मेरे द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वाद के निष्पादनार्थ दिनांक 30-11-2015 को तिथि निर्धारित की जाए एवं उसके पूर्व श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह अपना लिखित वक्तव्य समर्पित कर सकते हैं एवं उनके विज्ञ अधिवक्ता

अपनी दलील भी रख सकेंगे। दिनांक 30-11-2015 को अपरिहार्य कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी और सुनवाई हेतु दिनांक 2-12-2015 को तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 2-12-2015 को उभय पक्ष उपस्थित हुए। श्री मंगलम ने पुन: एक आवेदन समर्पित किया और यह कहा कि उनके मुवक्किल ने माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका संख्या सी.डब्ल्यू.जे.सी. नं0 18525 ऑफ 2015 दायर किया है और इस वाद की सुनवाई मुल्तवी की जाए। श्री शाही ने उनके अनुरोध का विरोध किया और यह कहा कि इस मामले में साक्ष्य दस्तावेज पर आधारित है और वह अकाट्य है। यह निर्विवाद है कि श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के जनता दल (यू) के प्रत्याशी के तौर पर निर्वाचित हुए। बिहार विधान परिषद् में जनता दल (यू) का सदस्य रहते हुए वे हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रत्याशी के रूप में 104, हथुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े जिसमें उनका चुनाव चिन्ह टेलिफोन छाप था।

यह ऐसा तथ्य है जिसका प्रतिवाद किया जाना संभव ही नहीं है। और जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है कि दिनांक 2-11-2015 को आवेदन समर्पित करने के उपरान्त श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दिया है। इसलिए श्री शाही ने और अधिक समय दिए जाने का पुरजोर विरोध किया और कहा कि श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह संविधान की दसवीं अनुसूची में विहित प्रावधानों के अंतर्गत बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित हो चुके हैं और ऐसे सदस्य का सदन में बने रहना संविधान ही नहीं वरन लोकहित के भी प्रतिकूल होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि सुनवाई के दरम्यान पूछे जाने पर श्री मंगलम ने यह स्वीकार किया कि उनके मुवक्किल 104, हथुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह के जनता दल (यू) प्रत्याशी के रूप में बिहार विधान परिषद् में निर्वाचित होने एवं 104, हथुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का साक्ष्य संचिका में उपलब्ध है।

श्री शाही ने यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह इसी प्रकार सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए उन्होंने महाराजगंज लोकसभा चुनाव क्षेत्र से 2001 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में प्रत्याशी बने थे। उनके इस कृत्य के कारण उनके विरुद्ध उन्हें बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित घोषित किए जाने का आवेदन समर्पित किया गया जिसके आधार पर तत्कालीन सभापति ने उन्हें अपने आदेश दिनांक 26-6-2004 द्वारा बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से निरर्हित घोषित कर दिया था। श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह का वह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष ले जाया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त संविधान की दसवीं अनुसूची के कंडिका 2(1)(क) की व्याख्या करते हुए

यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि किसी दल का सदस्य रहते हुए दूसरे दल के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना अपने मूल राजनीतिक दल का स्वेच्छया परित्याग का अकाट्य प्रमाण एवं सदन की सदस्यता से निरर्हित होने का समुचित आधार होगा। इस आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। इसी प्रकार रवि एस. नायक के मामले में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची की कंडिका 2(1)(क) की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि किसी दल की सदस्यता का त्याग मौखिक अथवा लिखित अथवा आचरण व व्यवहार से परिलक्षित हो सकता है।

मेरे समक्ष उपस्थापित तथ्यों के अवलोकन एवं दोनों पक्षों की दलील को सुनने के उपरान्त मैं पूर्णतया संतुष्ट हूं कि श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह, जनता दल (यू), के प्रत्याशी के रूप में सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। उनका वर्तमान कार्यकाल दिनांक 8-5-2017 को समाप्त हो रहा है। जनता दल (यू) के बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहते हुए वे एक दूसरे राजनीतिक दल हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रत्याशी के रूप में 104, हथुआ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ा है जिसमें उनका चुनाव चिह्न टेलिफोन छाप था।

श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह का इस प्रकार का कृत्य, आचरण एवं व्यवहार से स्पष्ट है कि उन्होंने अपने मूल राजनीतिक दल, जनता दल (यू), को स्वेच्छया परित्याग दिया है। मेरे इस निर्णय का माननीय उच्चतम न्यायालय के श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह के केस से पूर्ण समर्थन प्राप्त है।

अतएव, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह को बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से दिनांक 2-12-2015 के प्रभाव से निरर्हित घोषित करता हूं।

ह0/-
(अवधेश नारायण सिंह)
सभापति
बिहार विधान परिषद्

पटना, दिनांक- 9-12-2015

ह0/ प्रबल 08.12.15
(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.-237/2015-2721(1)वि.प. पटना, दिनांक 9-12-2015

प्रतिलिपि – अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी अग्रसारित करते हुए अनुरोध करना है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी 100 (एक सौ) प्रतियां इस सचिवालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

ह0/ प्रबल 08.12.15
(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.-237/2015-2721(1)वि.प. पटना, दिनांक 9-12-2015

प्रतिलिपि – बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/मुख्य सचिव, बिहार/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, संसदीय कार्य विभाग/सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष, बिहार सरकार/राज्यपाल के

प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, पटना/महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं सचिव, विधि विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.15

(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.-237/2015-2721(1)वि.प. पटना, दिनांक 9-12-2015

प्रतिलिपि –मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार को अवलोकनार्थ प्रेषित।

08.12.15

(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.-237/2015-2721(1)वि.प. पटना, दिनांक 9-12-2015

प्रतिलिपि – महासचिव, राज्य सभा, संसद भवन, नई दिल्ली/महासचिव, लोक सभा, संसद भवन नई दिल्ली/सभी राज्यों की विधान परिषद् के सचिव/सभी राज्यों की विधान सभा के सचिव एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभा के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

08.12.15

(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.-237/2015-2721(1)वि.प. पटना, दिनांक 9-12-2015

प्रतिलिपि – सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, मैंगल्स रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.12.15

(शेखर प्रबल)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्